5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

202

निग-4088-I-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

श्री पी. के. तिवारी अभि. द्वारा आज दि. 22-12-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बशीर मोहम्मद पुत्र हाफिज सईद अहमद
निवासी– लटेरी रोड, तहसील–सिरोंज,
जिला–विदिशा, म.प्र. ....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, सिरोंज,
जिला– विदिशा ....अनावेदक

<u>निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 04.12.2015 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील–सिरोंज, जिला– विदिशा, प्रकरण क्रमांक 11/अ–68/11–12</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि कस्बा सिरोंज में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 395, रकवा 0.126 हैक्टेयर में से 50 × 50 वर्ग फीट क्षेत्रफल का आवेदक स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है, जो आवेदक को सैयद अंसार अहमद ने जर्ये हिवा दिया गया था। सैयद अंसार अहमद द्वारा उक्त सम्पत्ति पूर्व सम्पत्ति–स्वामी से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की गई थी। उक्त सम्पत्ति जर्ये हिवा आवेदक द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण क्रमांक 70/अ–2/84–85 द्वारा डायवर्जन कराया जाकर उक्त भूखण्ड पर भवन–निर्माण कराया गया था, तब से निरन्तर आवेदक उक्त सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग, स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्यधारी की हैसियत से करता चला आ रहा है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4088– एक/15 **जिला** –विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
31 –5 –16	यह निगरानी तहसीलदार सिरोंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–68/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 4.12.15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा इसी प्रकरण मकें कार्यवाही करते हुये आवेदक को दिनांक 4.12.15 को अतिकमण हटाने का सूचना पत्र जारी किया गया है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 3941–एक/2015 प्रस्तुत किया गया है। जिसका निराकरण अंतिम आदेश दिनांक – –16 से किया जा चुका है । अतः निगरानी प्रकरण कमांक 3941–एक/2015 में पारित आदेश दिनांक – –16 भी निगरानी प्रकरण कमांक 4088–एक/2015 पर समानरूप से लागू होगा। तद्नुसार संपूर्ण सीमांकन कार्यवाही निरस्त की जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है। सदस्य	